न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 08/2020

अपीलांट

1. श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री नरसाजी जाति लौहार निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेंट

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता अपीलांट ।
2. पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांक 21.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 पर अतिक्रमण करने से मुकदमा संख्या 164/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व प्रस्तुत की अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई ।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उप तहसीलदार, भावरी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधि एवं कानूनी तथ्यों की जांच किये बगैर निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय में अंकित भूमि खसरा संख्या 1172 कुल रकबा 1500 वर्गफुट अपीलांट के पट्टेशुदा भूमि है। जो ग्राम पंचायत भावरी द्वारा श्री चुनाराम पुत्र श्री वीराजी जोगी निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा को मिसल संख्या 550 दिनांक 22.02.1990 के द्वारा पट्टा संख्या 34 बुक संख्या 120 दिनांक 04.06.2013 को जारी किया गया था जिसको श्री चुनाराम द्वारा श्रीमती सुशीला को दिनांक 17.06.2013 को बेचान किया एवं श्रीमती सुशीला से अपीलांट द्वारा जरिये विक्रय विलेख के 13.10.2016 के द्वारा रूपये 11 लाख 72 हजार में 1461.25 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। श्री चुनाराम पुत्र श्री वीराजी जोगी निवासी सरूपगंज को पट्टा संख्या 34 बुक संख्या 120 दिनांक 04.06.2013 को जारी किया गया था जिसको अपीलांट ने विक्रय विलेख के 13.10.2016 के द्वारा रूपये 11 लाख 72 हजार में 1461.25 वर्गफुट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से उक्त पट्टेशुदा भूमि पर नल कलेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जरिए पत्र क्रमांक 340 एवं 341 दिनांक 23.02.2019 द्वारा प्राप्त किया। इसके अलावा अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत भावरी से निर्माण कार्य करने हेतु अनुमति मांगी गई जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 839 दिनांक 23.02.2019 द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति दी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा गैर कानूनी रूप से अपीलांट के पट्टेशुदा भूमि में गलत जांच के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलाधीन मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करने में कानूनी भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हुए अपीलांट को ग्राम पंचायत द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार भवन निर्माण करने की अनुमति यथावत बहाल रखी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। यह है कि पटवारी हल्का भावरी द्वारा खसरा संख्या 1172 में 1500 वर्गफीट पर अपीलांट के कब्जे का हवाला देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं नीचे यह दर्शाया है कि इस रकबे में वह रकबा भी शामिल है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15/19 के तहत खातेदारी हक प्राप्त हुए है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से यह प्रमाणित नहीं है कि कौनसा भाग खातेदारी का दिया गया है एवं कौनसा भाग रास्ते का रहा है जबकि कदिम से यहां से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 4653/1993 निर्णय दिनांक 02.12.2005 पेज 272 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा अपीलांट अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का भावरी द्वारा मौजा भावरी के खसरा नम्बर 1172 रकबा 1500 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर शोरूम निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक टीम का गठन किया जाकर मौके की भूमि का सीमाकंन करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भावरी, रोहिडा, वाटेरा एवं पटवारी हल्का भावरी को टीम शामिल किया जाकर जांच करवाने पर अपीलांट का अतिक्रमण सही होना पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत कायम रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मीमो एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिपेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि विवादित भूमि मौजा भावरी के खसरा संख्या 1172 रकबा 1500 वर्गफुट किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि खसरा संख्या 1172 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को कभी भी ग्राम पंचायत भावरी को आबादी विस्तारित आबंटित नहीं किया गया है अपितु उक्त भूमि गैर मुमकिन आम रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि किसी व्यक्ति को आंवटन करने पर प्रतिबंध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज है जो कभी भी ग्राम पंचायत को आंवटन हुई हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 1500 वर्गफुट पर अपीलांट का अतिक्रमण ही माना जायेगा। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 4653/1993 निर्णय दिनांक 02.12.2005 पेज 272 का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिपूर्ण होने से हस्तक्षेप करना न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होगा अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत कायम रखा जाकर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner